न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 25/2010

1 गुमान सिंह उम्र 65 साल पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी आलमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 प्रेमसिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र सुल्तान सिंह।
2 छोग सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र सुल्तान सिंह।
3 पृथ्वी सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र सुखदेव सिंह।
4 रोहताश सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र सुखदेव सिंह।
5 उम्मेद सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र सुखदेव सिंह।
6 रघुवीर सिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र मुकन्द सिंह।
7 महावीर सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र मुकन्द सिंह।
8 गुमान सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र मुकन्द सिंह।
9 मंगेज कंवर उम्र 75 वर्ष विधवा मुकन्द सिंह।
10 महेन्द्र सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र रेवत सिंह।
11 राजू सिंह उम्र 41 वर्ष पुत्र रेवत सिंह।
12 केशर उम्र 70 वर्ष पुत्र रेवत सिंह।
13 सुगन सिंह उम्र 68 वर्ष पुत्र गोपाल सिंह।
14 भागु सिंह उम्र 68 वर्ष पुत्र गोपाल सिंह।
15 महेन्द्र सिंह उम्र व्यस्क पुत्र बन्ने सिंह।
16 विरेन्द्र सिंह उम्र 37 वर्ष पुत्र भोमसिंह।
17 जितेन्द्र सिंह उम्र 32 वर्ष पुत्र भीमसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

18 छगन कंवर उम्र 58 वर्ष विधवा भीमसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण आलमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
19 विरेन्द्र सिंह उम्र व्यस्क पुत्र जसूसिंह।
20 सरजीत सिंह पुत्र जालसिंह।
21 किशोर सिंह उम्र 35 वर्ष पुत्र पाबुदान सिंह।
22 सदा कंवर उम्र 55 वर्ष विधवा पाबुदान सिंह।
23 नाथु सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र किशन सिंह।
24 रघुवीरर सिंह उम्र 46 वर्ष पुत्र मंगेज सिंह।
25 रतन सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र भंवर सिंह।
26 बचन सिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र शीशपाल सिंह।
27 सोहन सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र शीशपाल सिंह।
28 कलमेन्द्र सिंह उम्र व्यस्क पुत्र मदनसिंह।
29 हीरामणी सिंह उम्र व्यस्क पुत्र मदनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण आलमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
30 सत्यवीर उम्र 48 वर्ष पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी गोवली तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
31 श्रीमान तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 20.08.2009 माननीय
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा व मुकदमा
गुमानसिंह बनाम प्रेमसिंह वगैरह दावा बाबत घोषणा
विभाजन व रिकार्ड दुरूस्ती मुकदमा नम्बर 336/2007

उपस्थिति :

1. श्री हजारीलाल सूनियां, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 25.08.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा संख्या 336/2007 में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अभयपुरा की कृषि भूमि भूमि नये खसरा नम्बर 5 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.28 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 17 रकबा 2.39 हैक्टेयर है। उक्त भूमि पक्षकारान के हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु कब्जा काश्त के अनुसार रिकार्ड सही नही है। भूमि खसरा नम्बर 5 व 6 के पुराने खसरा नम्बर 5 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी पूर्व मे हनुमान सिंह पुत्र फुलसिंह हिस्सा 1/6 शीशपाल सिंह व भंवरसिंह पुत्रान फूलसिंह हिस्सा 1/3 व सबलसिंह पुत्र राजसिंह के नाम से दर्ज थी, लेकिन भाई बंटवारे के शीशपाल सिंह व भंवरसिंह पुत्रान फूलसिंह ने अपना हिस्सा अपने भाई हनुमान सिंह हिस्सा 1/2 की वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा को काश्त करता रहा। हनुमान सिंह के माने के द्वारा उसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी का 14 लगायत 22 काश्त करते रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे यह हिस्सा ज्यो का त्यों दर्ज होता चला गया। और पुराने खसरा नम्बर 5 के नये खसरा नम्बर 5.6 कायम हुये है। वर्तमान में खसरा नम्बर 6 पर वादी व प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 22 काबिज काश्त है। मौके पर किसी प्रकार का विवाद नही है। अत वाद स्वीकार कर खसरा नम्बर 6 को वादी व प्रतिवादी संख्या 14 से 22 की खातेदारी में घोषित किया जावें एवं खसरा नम्बर 17 से प्रतिवादी संख्या 1 से 15 व 19 का नाम हटाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 16 से 22 का खातेदार घोषित किया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद वादी प्रारम्भिक डिक्री कर विभाजन प्रस्ताव हेतु निर्देश जारी किये है एवं विचाराधीन आदेश से अन्तिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णय करने के लिए तनकीवार विधिक विवेचन कर अंतिम निर्णय करना चाहिए, किन्तु अदालत मातहत ने आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की पालना न कर निर्णय दिनांक 20.08.2009 पारित किया है। अदालत मातहत के समक्ष वादी के दावे के समर्थन में पेश शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य व दावे का कोई खण्डन नहीं किया व वादी के दावे में प्रस्तुत तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण पत्रावली पर मौजुद नहीं है न ही इस बात का जिक्र अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 20.08.2009 में किया है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 20.08.2009 विधिक दायरे में नहीं है क्योंकि अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 20.08.2009 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया है तथा निर्णय सुनाने के पश्चात अदालत मातहत ने निर्णय पुन लिखकर विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट को आधार मानकर दावा खारिज कर दिया जिससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने निर्णय में मा ईण्ड अप्लाई नहीं किया। अदालत मातहत ने सरकार को राजस्व हानि होना व स्टाम्प ड्युटी से बचने के आधार को मानकर दावा खारिज किया है तथा कानूनन इस तथ्यों पर विचार प्रारम्भिक डिक्री के समय किया जाना चाहिए था अंतिम डिक्री के समय कानूनन इस तथ्यों पर विचार करने का कोई विधिक प्रावधान नही है। अपीलांट ने जानकारी से अन्दर मियाद धारा के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 20.08.2009 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.03.2009 को विभाजन की पारित की गई है। इस प्राथमिक डिक्री को अपीलांट ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आज तक चुनौती नही दी है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री केवल विभाजन की जारी की गई थी। इस प्राथमिक डिक्री को अपीलांट ने चुनौती नहीं दी है केवल मात्र विभाजन की अंतिम डिक्री को चुनौती दी है। इस अपील में अपीलांट घोषणा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अन्तिम डिक्री की अपील में अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर